न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 841/2015 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/01221

उनवान

1. मृतक कचरा पिता खेमा जी डांगी के बजाय विधिक वारिसान–
   1/1 श्री नानजी पिता स्व. कचरा जी डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
   1/2 श्री गोवना पिता स्व. कचरा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
   1/3 श्री देवीलाल पिता स्व. कचरा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
   1/4 श्रीमती खेमी बाई पुत्री स्व. कचरा जी डांगी पत्नी स्व रोडा डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) हालमुकाम करावली तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
   1/5 श्रीमती वक्तु दाई पुत्री स्व कचरा जी डांगी पत्नी रुपलाल डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) हाल मुकाम ईसरवास (डांगीयान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रुपा पिता धुला डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री केवा पिता मेगा जी डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमती नाथी पुत्री स्व पुंजा जी डांगी पत्नी वाला डांगी उम्र बालिग निवासी वली तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)।
4. श्री प्रेमलाल पिता कानाजी डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
5. श्री रुपलाल पिता कानाजी डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
6. श्री वाला पिता खेमाजी डांगी उम्र बालिग निवासी ईसरवास (टापरान) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
7. श्रीमान उप पंजीयन अधिकारी (तहसीलदार) सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांक 20/05/2026

उपस्थितः श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता– प्रार्थी
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता–विपक्षी संख्या 1
श्री जितेन्द्र कुमार वैष्णव– विपक्षी संख्या 3 से 6
विपक्षी संख्या 2–एक पक्षीय

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 एक ही परिवार के होकर खेमा पिता पुरा जी डांगी के वंशज है। जिनके खानदान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 के मुल पुरुष खेमा पिता पुरा जी डांगी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा ईसरवास डांगीयान पटवार मण्डल सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.) में स्थित है जिसकी सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी सवत् 2036 से 2039 के अनुसार खातेदार धुला पिता जीवा डांगी जरिये बक्शीस खातेदार रूपा पिता धुला डांगी खाता संख्या 118 आराजी नम्बर 1039 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1040 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा है। वादग्रस्त पुराने आराजी संख्या 1039 रकबा 19 बिस्वा व आराजी संख्या 1040 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा के नये आराजी नम्बर क्रमशः 2135 रकबा 13 हैक्टेयर, व 2136 रकबा 0.29 हैक्टेयर है जिनका विस्तृत विवरण चालु जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर खातेदार श्री रूपा पिता धुला डांगी व आराजी नम्बर 2136 रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रेमलाल, रूपलाल पिता काना जी डांगी है।

वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी तथा विपक्षी संख्या 6 के पिता तथा विपक्षी संख्या 2 केवा, विपक्षी संख्या 4 प्रेमलाल, प्रतिवादी संख्या 5 रुपलाल के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 3 नाथी बाई के पडदादा खेमा पिता पुरा जी डांगी उनकी संवत् 2015 में मृत्यु से पूर्व करीब 30 वर्षों से बेरोकटोक, बिना किसी बाधा रुकावट के काबिज काश्त करते आ रहे थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र काना, मेघा, कचरा व वाला भी बेरोकटोक के काश्त करते आ रहे है। जिनका विवरण संवत् 2011 से 2042 तक की खसरा गिरदावरी में अंकित है। उसके बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के बीच आपसी पाति बंटवाडा हो जाने के कारण आराजी संख्या 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर वादी के हिस्से में आयी तथा आराजी संख्या 2136 जिस पर प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 काबिज काश्त पेतुक रूप से चले आ रहे थे उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता काना जी के हिस्से में आयी। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 4 व 5 के पिता के हिस्से में उपरोक्त आराजी आपसी पांति बंटवाडे में आने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी अपने नाम रद्दोबदल से अपने खाते कराने का काफी आग्रह किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने केवल विपक्षी संख्या 4 व 5 के पिता काना जी के खाते रद्दोबदल से आराजी संख्या 2036 रकबा 0.29 हैक्टेयर रजिस्ट्री के जरीये करवा दी एवं वादी के नाम से रद्दोबदल करवाने से साफ इन्कार कर दिया लेकिन वादी लगातार काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी के हिस्से में आयी आराजी संख्या 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर प्रार्थी के पिता खेमा जी बेरोकटोक बिना किसी बाधा, रुकावट के अनवरत लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके चारो पुत्र संयुक्त रुप से तथा पांति बंटवाडा हो जाने के बाद एक आराजी पर वादी ही एकमात्र काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी संख्या 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर प्रार्थी का ही एकमात्र कब्जा चला आ रहा है। जिस कारण प्रार्थी का स्वतः ही प्रतिकुल कब्जा हो चुका है एवं विपक्षी संख्या एक ओपचारिक रुप से खातेदार है। जिस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्रिया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा संतुलन का मामला बनता है। विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 के विरुद्ध इस आशय कि अस्थायी निषेधाज्ञा मुलवाद के निस्तारण तक पारीत कि जावे कि वह प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे तथा नहीं उक्त प्रकार का कार्य अपने परिजनो, नौकरो, एजेन्टो से करवाए। तथा विपक्षी संख्या 7 मुल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी संख्या 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर का पंजीयन अपने यहाँ नही करें।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त भुमि पर कबजा प्रतिवादी एक के अलावा किसी का नही है तथा उक्त प्रतिवादी एक का ही मोके पर कब्जा अनवरत रूप से चला आ रहा हे जिस कारण उक्त कब्जा प्रतिवादी 2 से 6 का व वादी का होना ही गलत लिखा हे परन्तु यह स्वीकार है कि उक्त आराजी नम्बर 1039 व 1040 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की बक्षीक्ष प्रतिवादी नम्बर एक के नाम पर किया गया है जो कि आज तक वेध है जो कि आज दिनांक तक किसी भी सिवील न्यायाल या राजस्व न्यायालय के द्वारा उकत बक्षीक्ष नामा को अवेध घोषीत नहीं किया गया है जिस कारण उक्त बक्षीक्ष के समय से ही आज दिनांक तक बक्षीक्ष प्रभावी है।

आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.13 है भुमि का विपक्षी संख्या 1 एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मोके पर विपक्षी रूपा पिता धुला ही काबिज हे जिस कारण रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नही है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 6 तक का सयुक्त कोलीजन से विपक्षी रूपा पिता धुला की जमीन को लेने हेतु है जिस कारण उक्त तथ्य को गलत तोर पर अकन किया कि दिगर विपक्षी संख्या 2 से 6 तक के विरूद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे जिस आधार पर उपरोक्त वाद को निरस्तनीय माना जावे। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत वाद में उप पंजीयक तहसीलदार को मुल वाद में पक्षकार नही बनाया गया है जिस आधार पर भी उक्त प्रार्थनापत्र को खारीज फरमाया जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को सव्यय खारीज फरमाया जावे ।

विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ आदेशिका दिनांक 08–09–2015 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 3, 4, 5, 6 ने कोई जवाब पेश नही किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि विवादित कृषि भूमि आराजी नं. 2135 पर उनका एवं उनके परिवार का लगभग 40 वर्षो से निरंतर शांतिपूर्ण कब्जा एवं कृषि कार्य चला आ रहा है, जो खसरा गिरदावरी, कब्जा रिपोर्ट से भी प्रमाणित है। पारिवारिक बंटवारे के बाद यह भूमि उनके हिस्से में आई थी, लेकिन विपक्षी रूपा व अन्य इसे अपने नाम दर्ज बताकर प्रार्थी के वैध कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जबरन खेत पर कब्जा/जोताई करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारि की जावे।

विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सभी प्रमुख आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि प्रार्थी का भूमि पर कोई वास्तविक कब्जा नहीं है और मौके पर निरंतर व शांतिपूर्ण कब्जा केवल प्रतिवादी रूपा का ही चला आ रहा है। विवादित भूमि विपक्षी रूपा के नाम वैध रूप से बख्शीश के माध्यम से दर्ज है, जिसे आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया है, इसलिए वह रिकॉर्डेड खातेदार और वास्तविक काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा, बंटवारे और प्रतिकूल कब्जे के दावों को भी गलत एवं निराधार है। वास्तविक खेती और उपयोग विपक्षी द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 मौजा ईसरवास डांगीयान आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि विपक्षी रूपा पिता धुला डांगी के नाम

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

दर्ज अंकित है। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर वर्तमान कब्जे को लेकर पक्षकारों के मध्य गंभीर विवाद विद्यमान है, जिसके कारण शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय की राय में न्यायहित एवं विवाद के निष्पक्ष निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि पक्षकारों की वर्तमान स्थिति यथावत रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार का परिवर्तन या अवैध कब्जा उत्पन्न न हो सके।

–::आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशीक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक मौजा ईसरवास डांगीयान की विवादीत आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.35 हैक्टेयर कृषि भूमि की वर्तमान स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 20/05/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर